

कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

प्र.क्र./0013/अ-82/2019-20/6269

श्योपुर दिनांक 08.08.2019

प्रारम्भिक अधिसूचना

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम धोरीवावडी तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 2.856 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम धोरीवावडी प.ह.न 15 रा.नि. वृत्त 01 में उक्त परियोजना के लिये 2.856 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का रकवा	हितवद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	5	6	7	8	11
1	329	भूदान कृषक		0.044	हरि, बल्लू, गंगाराम पुत्रगण चिरोंजी, गीता, उर्मिला पुत्रियां चिरोंजी जाति कहार, निवासी श्यामपुर समान भाग, भूदान कृषक भू.रा. 6.25
2	332	भूदान भूमिस्वामी		0.027	कमला बेवा किशनलाल, रामप्रसाद, हाकिम बा. सीताराम ना.बा. पुत्रगण किशन लाल, शांती, इन्द्रा. बा. बिन्ना नाबा. पुत्रीया किशनलाल सर. मां. कमला जाति बंजारा जाति ग्राम समान भाग भूदान भूमि स्वामी भू.रा. 18.75
3	333	भूदान भूमिस्वामी		0.232	मंगल पुत्र रंजीत जाति बंजारा नि. ग्राम भूदान भूमिस्वामी भू.रा. 18.75

कलेक्टर

जिला श्योपुर (म. प्र.)

4	335/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.077	गुलाब पुत्र रंजीत जाति बंजारा नि. ग्राम भूदान भूमिस्वामी भूरा 7.60
5	335/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.024	सुरेश पुत्र लक्ष्मीचंद, द्रोपती बेवा लक्ष्मीचंद, शारदा सुशीला पुत्रीया लक्ष्मीचंद जाति ब्राह्मण निवासी श्यामपुर समान भाग भूदान कृषक भूरा. 2.40
6	336/1	भूदान भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.393	गुलाब पुत्र रंजीत जाति बंजारा नि. ग्राम भूदान भूमिस्वामी भूरा शामिल नं. 334/1
7	336/2	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.100	सुरेश पुत्र लक्ष्मीचंद, द्रोपती बेवा लक्ष्मीचंद, शारदा सुशीला पुत्रीया लक्ष्मीचंद जाति ब्राह्मण. निवासी श्यामपुर समान भाग भूदान कृषक भूरा. 7.60
8	337	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.356	भगवान सिंह, रमेश, लालसिंह, वकील, लख्खू पुत्रगण तोताराम, रूमाली बेवा तोताराम, अंगूरी, मीरा संतरा, सोना, मंगली, पुत्रीया तोताराम जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भूरा. 31.25
9	338/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.129	भूली बाई पत्नी जयसिंह जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूरा. 12.50
10	338/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.192	रामदयाल पुत्र जसवंत जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूरा. 18.75
11	339	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.286	शांति बेवा प्रभूलाल, लक्ष्मण, बा. विजयसिंह, ओमप्रकाश नेकराम, अशोक, मुकेश नाबा. पुत्रगण प्रभू सर. मां खुद, बैजन्ती पुत्री प्रभू जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमि स्वामी भूरा. 31.25
12	340/1	भूदान भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.210	शांति बेवा प्रभूलाल, लक्ष्मण, बा. विजयसिंह, ओमप्रकाश नेकराम, अशोक, मुकेश नाबा. पुत्रगण प्रभू सर. मां खुद, वैजन्ती पुत्री प्रभू जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान भूमि स्वामी भूरा. 31.25

13	340/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.152	रामदयाल पुत्र गिरधारी जाति बंजारा निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूरा. 13.00
14	341	भूदान कृषक	कृषि भूमि	0.634	मु. दाखो बेवा देवीलाल लक्ष्मण, रामसिंह नाबा. पुत्रगण देवीलाल सर मां. खुद जाति बंजारा निवासी ग्राम समान भाग भूदान कृषक भूरा. 18.75
योग				2.856	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 मे यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि मे प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।


अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू - अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

स्थान: श्योपुर

तारीख - 08/08/2019




(बसंत कुरें)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला श्योपुर (म.प्र.)

पृ.क./0013/अ-82/भू-अर्जन/2019-20/1/770
प्रतिलिपि-

शयोपुर दिनांक 08/08/2019

1. नियंत्रक शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु ।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की ओर 02 स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
3. कलेक्टर जिला शयोपुर के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर जिला शयोपुर के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
5. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
6. तहसीलदार तहसील वीरपुर की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील पुलिस स्टेशन के ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. शयोपुर की ओर कलेक्टर जिला शयोपुर (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकृत वेबसाईड पर अपलोड हेतु ।

LI.

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला शयोपुर (म.प्र.)